

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

प्रस्ताव- 11/4/2021

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -  
या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये)।

cf. Jhansi की संस्तुति के आधार पर स्वीकृता संस्तुति की जाती है।

तिथि- 11/4/22

स्थान-

28  
Anupam Gupta

Chief Conservator of Forests/Nodal Officer

हस्ताक्षर Forest Conservation Act. 1980

U.P. Lucknow

नाम व पदनाम

सरकारी मुहर